

05/05/25

पत्रावली वाले निधि पैसा हुआ उस पर
उप. का वकीलान्ता निधि का पता है
विस्तृत निधि अलग से लिखा जाय -
शामिल निधि गणना निकी जाती है नैष-
के कर है।

निधि द्वारा गणना

उपस्थित अधिकारी
सुरताद (संयोजक)

GICMS
2024/447



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बलवंत सिंह आदि बनाम कलवंत सिंह आदि

किस्म मुकदमा:- 48,53,88 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या:- 219/2024 (GCMS No. 2024/447)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.25	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादीगण ने वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 संयुक्त परीवार के सदस्य है। वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 के पिता हजूर सिंह के नाम से ग्राम गुरुसर मोडिया तह0 सूरतगढ़ में स्थित विभिन्न चको में कृषि भूमि थी। पिता हजूर सिंह ने अपनी भूमि की आय से वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से विभिन्न स्थानो पर भूमि क्रय की है एवं हजूर सिंह की मृत्यु पश्चात भूमि विरासतन में हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई। इस तरह उपरोक्त प्रकार से अर्जित कुल भूमि वर्तमान में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पास वाद पत्र की मद संख्या 2 (क) से 2(थ) अनुसार है। उपर्युक्त संयुक्त भूमि विभिन्न चकों में स्थित है एवं समस्त चकों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में मौका पर सहमति से बंटवारा किया हुआ है एवं बंटवारा अनुसार सभी काश्तकार मौका पर अलग-अलग से काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित अनुसार है। इसी अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है।</p> <p>वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जवाब दावा को दोहराते हुए बताया कि हम वाद पत्र अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिए सहमति है। मुताबिक वाद पत्र विभाजन किया जाता है तो हम कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वकील वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री संजय शर्मा एडवोकेट उपस्थित आए एवं जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनो को स्वीकार कर वादपत्र में अंकित कब्जा अनुसार विभाजन किए जाने पर सहमति प्रकट की। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यो के विपरीत कथन नहीं किए जाने के कारण कोई तनकी कायम नहीं की गई। प्रतिवादी सं0 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया एवं समस्त तथ्य वादीगण द्वारा सिद्ध किए जाने एवं नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने का निवेदन किया। तत्पश्चात साक्ष्य में वादीगण की तरफ से वादी बलवंत सिंह ने उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी को प्रदर्श करवाया एवं मुताबिक कब्जा खाता विभाजन करने का कथन किया।</p> <p>वादपत्र के अभिवचन एवं शपथ पत्र एवं प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है एवं वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में भूमि के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में वाद पत्र स्वीकार कर वादपत्र में अंकित पक्षकारो के मौका कब्जा अनुसार हको की घोषणा करते हुए खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.05.25	<p>अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बंटवारा एवं विनियम को स्वीकार करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौका कब्जा खातेदारी हको की घोशणा करते हुए वादपत्र में वर्णित कुल भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की दफा 2 में कुल कृषि भूमि का खाताविभाजन मुताबिक कब्जा निम्न प्रकार से किया जाता है :</p> <p>(1) वादी सं0 1 बलवंत सिंह पुत्र हजूर सिंह का हिस्सा</p> <p>(क) चक 2 डी.बी.एन. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 26 में प0 नं0 29/273 (19) में किला नं0 9/3 ता 12/2 में 0.886 है0, 19-20/0.506 है0 = 1.392 है0 (नहरी 1.329 है0, खाला 0.063 है0) प0 नं0 29/274 (26) में किला नं0 16/1 ता 20 में 1.265 है0, 23/2 में 0.076 है0, 24/1 में 0.202 है0 = 1.543 है0 (नहरी 1.518 है0, गै0मु0रास्ता 0.025 है0) कुल 2.935 है0।</p> <p>(ख) चक 2 डी.बी.एन. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 27 में प0 नं0 29/273 (19) में किला नं0 13/0.253 है0, 18/0.253 है0, 21 ता 23/0.759 है0 = 1.265 है0 नहरी।</p> <p>(ग) चक 2 डी.बी.एन. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 31 में प0 नं0 28/270 (3) में किला नं0 11-12/0.506 है0, 19 ता 23/1 में 1.101 है0 = 1.607 है0 नहरी, प0 नं0 29/270 (4) में किला नं0 12 ता 25/3 में 2.934 है0 (नहरी 2.746 है0, गै0मु0रास्ता 0.113 है0, खाला 0.075 है0), प0 नं0 29/271 (9) में किला नं0 1/1 ता 22/2 में 5.566 है0 (नहरी 5.266 है0, खाला 0.200 है0, गै0मु0रास्ता 0.100 है0) कुल 10.107 है0 (नहरी 9.619 है0, गै0मु0रास्ता 0.213 है0, खाला 0.275 है0) के खाता में 1456/10107 हिस्सा। यानि 1.456 है0 (जो जमाबंदी में बलवंत सिंह व कलवन्त सिंह के नाम दर्ज है।)</p> <p>(घ) चक 2 डी.बी.एन. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 46 में प0 नं0 29/273 (19) में किला नं0 1 ता 3/0.759 है0, 8 ता 9/2 में 0.379 है0 = 1.138 है0 (नहरी 1.101 है0, खाला 0.037 है0)</p> <p>(ङ) चक 2 डी.बी.एन. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 90 में प0 नं0 29/274 (26) में किला नं0 11/2 ता 15/6 में 0.556 है0, 21 ता 25/2 में 0.987 है0 = 1.543 है0 (नहरी 1.506 है0, गै0मु0रास्ता 0.037 है0) कुल 8.337 है0।</p> <p>(2) वादी सं0 2 तरसेम सिंह पुत्र बलवंत सिंह का हिस्सा।</p> <p>(क) चक 1 डी.बी.एन. ए. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 90 में प0 नं0 33/270 (44) में किला नं0 11 ता 25/2 में 3.795 है0 (नहरी 3.720 है0, गै0मु0रास्ता 0.075 है0), प0 नं0 33/271 (50) में किला नं0 1 ता 13 में 2.745 है0 नहरी कुल 6.540 है0 (नहरी 6.465 है0, गै0मु0रास्ता 0.075 है0)</p> <p>(ख) चक 1 डी.बी.एन. ए. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 92 में प0 नं0 32/268 (30) में किला नं0 1 ता 3/0.759 है0, 8 ता 13/1 में 1.391 है0, 19 ता 22/1.012 है0 = 3.162 है0 नहरी, प0 नं0 32/269 (35) में किला नं0 1/1 ता 3/2 में 0.759 है0, 10/1 में 0.240 है0 = 0.999 है0 (नहरी 0.924 है0, खाला 0.075 है0) कुल 4.161 है0 (नहरी 0.924 है0, खाला 0.075 है0) के खाता में 752/4161 हिस्सा यानि 0.752 है0। (जो जमाबंदी में तरसेम सिंह व संदीप सिंह के नाम दर्ज है।)</p>	



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05-05-25	<p>(ग) चक 26 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 37 में प0 नं0 14/267 (46) में किला नं0 3/2 में 0.127 है0, 3/3 में 0.025 है0, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.025 है0, 7-8/0.506 है0, 13-14/0.506 है0, 17-18/0.506 है0, 23 ता 25/1 में 0.354 है0 = 2.277 है0 (नहरी 2.227 है0, खाला 0.050 है0),</p> <p>(घ) चक 2 डी.बी.एन. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 26 में प0 नं0 30/271 (8) में किला नं0 14/2 में 0.089 है0, 17 ता 20/1 में 0.961 है0 = 1.050 है0 अ0क0बा0</p> <p>(ङ) चक 30 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 47 में प0 नं0 22/265 (13) में किला नं0 10/2 में 0.127 है0, 11 ता 15/1.265 है0, किला नं0 16/0.0556 है0, 17/0.0556 है0, 18/0.0556 है0, 19/0.0556 है0, 20/0.0556 है0, अ0क0बारानी कुल 1.670 है0 अ0क0 बारानी</p> <p>चक 30 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 46 में प0 नं0 21/265 (14) में किला नं0 11/0.253 है0, 20/0.0556 है0 = 0.3086 है0 अ0क0बारानी। कुल 11.5476 है0</p> <p>(3) प्रतिवादी सं0 1 कलवंत सिंह पुत्र हजूर सिंह का हिस्सा।</p> <p>(क) चक 26 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 37 में प0 नं0 15/266 (42) में किला नं0 11/0.253 है0, 19 ता 22 में 0.987 है0 = 1.240 है0 (नहरी 1.215 है0, खाला 0.025 है0), प0 नं0 15/267 (47) में किला नं0 1 ता 2/2 में 0.165 है0 (नहरी 0.140 है0, खाला 0.025 है0) कुल 1.405 है0 नहरी मय खाला।</p> <p>(ख) चक 29 एम.ओ.डी. ए. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 8 में प0 नं0 18/258 (14) में किला नं0 3 ता 8/1.518 है0, 13 ता 18/1.518 है0, 23 ता 25/2 में 0.759 है0 = 3.795 है0 (नहरी 3.670 है0, गै0मु0 खाला 0.125 है0), प0 नं0 19/258 (13) में किला नं0 5/6 में 0.101 है0, 5/7 में 0.013 है0 = 0.114 है0 (कमाण्ड 0.101 है0, गै0मु0रास्ता 0.013 है0) कुल 3.909 है0 (नहरी 3.670 है0, गै0मु0खाला 0.125 है0, कमाण्ड 0.101 है0, गै0मु0रास्ता 0.013 है0)</p> <p>(ग) चक 29 एम.ओ.डी. ए. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 13 में प0 नं0 16/257 (7) में किला नं0 1/2 में 0.190 है0, 2, 9, 12, 19, 22 में 1.265 है0 = 1.455 है0 नहरी, प0 नं0 17/264 (40) में किल नं0 3/2 में 0.178 है0, 4/1 में 0.038 है0, 7/1 में 0.038 है0, 8/2 में 0.178 है0, 13/2 में 0.076 है0, 14/3 में 0.025 है0 = 0.533 है0 नहरी, प0 नं0 18/263 (35) में किला नं0 1/1 ता 6/1 में 1.385 है0 (नहरी 1.170 है0, गै0मु0 रास्ता 0.215 है0) कुल 3.373 है0 (नहरी 3.158 है0, गै0मु0रास्ता 0.215 है0)</p> <p>(घ) चक 29 एम.ओ.डी. ए. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 61 में प0 नं0 16/257 (7) में किला नं0 1/1 में 0.063 है0, 10/0.253 है0, 11/1 में 0.221 है0 = 0.537 है0 नहरी, प0 नं0 18/263 (35) में किला नं0 6/0.133 है0, 7/1 में 0.234 है0 = 0.367 है0 नहरी कुल 0.904 है0 नहरी। कुल 9.591 है0।</p> <p>(4) प्रतिवादी सं0 संदीप सिंह पुत्र कलवंत सिंह का हिस्सा।</p> <p>(क) चक 29 एम.ओ.डी. ए. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 70 में प0 नं0 18/257 (9) में किला नं0 3 ता 8/1.518 है0, 13 ता 18/1.518 है0, 23 ता 25/2 में 0.759 है0 = 3.795 है0 (नहरी 3.670 है0, गै0मु0 खाला 0.125 है0), प0 नं0 19/258 (13) में किला नं0 5/4 में 0.101 है0, 5/5 में 0.025 है0 = 0.126 है0 (नहरी 0.101 है0, गै0मु0रास्ता 0.025 है0) कुल 3.921 है0 (नहरी 3.771 है0, गै0मु0खाला 0.125 है0, गै0मु0रास्ता 0.025 है0) एवं इसी चक 29 एम.ओ.डी. ए. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 71 में प0 नं0 18/257 (9) में किला नं0 1-2/0.506 है0, 9 ता 12/1.012 है0, 19 ता 22/1.012 है0 = 2.530 है0 नहरी। कुल 6.451 है0</p>	



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.05.25	<p>(ख) चक 8 एच.डी.पी. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 34 प0 नं0 16/255 (27) में किला नं0 1/1 ता 25/2 में 6.325 है0 (नहरी 6.074 है0, गै0मु0रास्ता 0.251 है0), प0 नं0 16/256 (28) में किला नं0 1/1 ता 25/2 में 6.325 है0 (नहरी 6.075 है0, गै0मु0खाला 0.125 है0, गै0मु0रास्ता 0.125 है0) कुल 12.650 है0 (नहरी 12.149 है0, गै0मु0खाला 0.376 है0, गै0मु0रास्ता 0.125 है0) के खाता में 2530/12650 हिस्सा यानि 2.530 है0। (जो जमाबंदी में बलवंत सिंह व कलवंत के नाम दर्ज है।)</p> <p>(ग) चक 30 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 46 में प0 नं0 21/265 (14) में किला नं0 16/1 ता 19/1 में 0.506 है0, 20/0.1974 है0, 22 ता 25/2 में 1.012 है0 = 1.7154 है0</p> <p>(घ) वादी सं0 2 तरसेम सिंह व प्रतिवादी सं0 2 सन्दीप सिंह के नाम से चक 30 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 47 में प0 नं0 21/265 (14) में किला नं0 21/0.253 है0 बारानी, प0 नं0 22/265 (13) में किला नं0 11/0.1974 है0, 12/0.1974 है0, 13/0.1974 है0, 14/0.1974 है0, 15/0.1974 है0, 21 ता 25/1.265 है0 अ0क0बारानी = 2.505 है0 अ0क0 बारानी। कुल 11.4134 है0।</p> <p>(5) प्रतिवादी सं0 5 हरपाल कौर पत्नी हजूर सिंह का हिस्सा।</p> <p>(क) चक 26 एम.ओ.डी. तह0 सूरतगढ के खाता सं0 37 में प0 नं0 15/257 (6) में किला नं0 1 ता 3/0.759 है0, 8 ता 13/1.518 है0, 18 ता 23/1.518 है0 = 3.795 है0 नहरी,</p> <p>(ख) चक 7 एच.डी.पी. तह0 पीलीबंगा के खाता सं0 95 में प0 नं0 17/255 (67) में किला नं0 1/1 ता 25 में 6.325 है0 के खाता में 5858/12650 हिस्सा 2.929 है0 कुल 6.724 है0। (जो जमाबंदी में बलवंत सिंह व कलवंत सिंह के नाम दर्ज है)</p>	



तहसीलदार सूरतगढ एवं तहसीलदार पीलीबंगा को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश पारित किए जाते है। यदि वादग्रस्त भूमि पर रहन है तो वह यथावत् रहेगा। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी :-सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

-:: अनवान ::-

1. बलवंत सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ
2. तरसेम सिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ

-वादीगण

बनाम

1. कलवंत सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ
2. संदीप सिंह पुत्र कलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ
3. हरपाल कौर पत्नि हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ
4. तहसीलदार सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण



वाद पत्र धारा- 48,53,88 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 219 वर्ष 2024 (GCMS No. 2024/447) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री अजय अरोड़ा, वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 श्री संजय शर्मा तथा राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व परचा डिक्री जारी की जाती है कि :-

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बंटवारा एवं विनियम को स्वीकार करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौका कब्जा खातेदारी हको की घोषणा करते हुए वादपत्र में वर्णित कुल भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की दफा 2 में कुल कृषि भूमि का वाद पत्र के मद संख्या 03 में अंकित अनुसार खाता विभाजन मुताबिक कब्जा किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ एवं तहसीलदार पीलीबंगा को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश पारित किए जाते है। यदि वादग्रस्त भूमि पर रहन है तो वह यथावत् रहेगा।

नोज.....x.....मुबलिंग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्टों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.05.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)